



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-22762 , फैक्स : 07752-221385 E-mail : cc.f.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 1564

बिलासपुर, दिनांक : 27.06.22

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी

उपयोग हेतु B.S. SPONGE PVT. LTD. द्वारा laying of water Pipeline from

Dewanmunda Nalla to Plant site in order to fulfill the water requirement for the operation of plant हेतु क्षेत्रफल 0.144 हे. पंजीयन बाबत। पंजीयन क्रमांक:-

FP/CG/Pipeline/151253/2022

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.

-115-916/190 दिनांक 03.02.2022

विषयांतर्गत लेख है कि बी.एस. स्पंज प्रा.लिमि. ग्राम-तराईमाल, पो.-गेरवानी जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

द्वारा laying of water Pipeline from Dewanmunda Nalla to Plant site in order to fulfill

the water requirement for the operation of plant हेतु 0.144 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम

1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव निम्नानुसार है

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव			
क्र.	अभिलेख का विवरण	पृ.क्र.	विवरण
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	01	संलग्न है ।
2	प्रपत्र । में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड / वन मण्डल कोड / शाखा कोड / वर्ष /	02	पंजीयनक्र. FP/CG/PIPELINE/151253/2022 Date 03.02.2022

	पंजीयन क्र		
3	वन क्षेत्र विवरण	03	संलग्न है ।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	04	संलग्न है ।
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल चतुर्दशमक टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर नक्शा ।	05	संलग्न है ।
6	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप	06	संलग्न है ।
7	प्रपत्र -4 में प्रस्ताव	07.12	संलग्न है ।
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	13.15	संलग्न है ।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र ।	16	संलग्न है ।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र	17	संलग्न है ।
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र	18	आवश्यकता नहीं है ।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र 1ए एवं 1बी में)	19-24C	संलग्न है ।
13	कास्ट / बेनिफिट एनालिसिस	25	आवश्यकता नहीं है ।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु) का विवरण	26	आवश्यकता नहीं है ।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	27	आवश्यकता नहीं है ।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना(शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर मय10: वार्षिक वृद्धि के)	28, 44-67	आवेदित क्षेत्र 1.000 हे. से कम होने के कारण विदोहित 36 वृक्ष का 10 गुना 360 पौधे लगाने का वृक्षारोपण संलग्न है। वचन पत्र संस्थान द्वारा दिया गया है। संलग्न है।
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	29	परिक्षेत्र अधिकारी/उप वनमण्डलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न है ।
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	30	नहीं किया गया, प्रतिवेदन संलग्न है ।
19	अधिनियम उल्लंघन के अधिकारियों का विवरण	31	प्रश्न ही नहीं उठता ।
20	अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	32	आवश्यकता नहीं है ।
21	गैर वन भूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	33	आवश्यकता नहीं है ।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	34	संबंधित नहीं है ।

23	रिक्लेमेशन प्लान	35	संबंधित नहीं है ।
24	माईनिंग प्लान पड नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माईनिंग प्रकरण में)	36	संबंधित नहीं है ।
25	व्यवस्थापन प्लान	37	संबंधित नहीं है ।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र - III में)	43A-43B	संलग्न है ।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	71	संलग्न है ।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	73.75	संलग्न है ।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	76	152959.600 हे.
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे0 में	77-77A, 77B	3381.001 हे.
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी बंजमहवतल की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में ।	78	1.917 हे.
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी	79	संलग्न है ।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरण में)	80	संलग्न है ।
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र	82.86	संलग्न है ।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र	87	आवश्यकता नहीं है ।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र	88।	संलग्न है ।
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance.	89	संलग्न है ।
38	A detailed note on Soil Productivity or the lack of it	90	संलग्न है ।
39	परियोजना के किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र	91	संलग्न है ।
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 - Stipulation of additional	92	आवश्यकता नहीं है ।

	condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)		
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख			
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क कर विवरण (प्रपत्र – I में)	93	संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत	94	आवश्यकता नहीं है।
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण	95	आवश्यकता नहीं है।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc-) कमियों का विवरण :-	96	निरंक
45	आवेदित वन क्षेत्र तथा प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के DGPS Survey प्रतिवेदन	97.98	प्रस्तावित क्षेत्र का DGPS Survey आवश्यकता नहीं है। उक्त क्षेत्र 1.000 हे. से कम है। विदोहित किये जाने वाले कुल वृक्ष 36 के 10 गुना 360 पौधों के रोपण होना है।

संलग्न :- प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ. क्रमांक/तक.अधि./ 1565

/2022/बिलासपुर दिनांक 27-06-2022

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी रायगढ़ वनमंडल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मेसर्स बी.एस. स्पंज प्रा.लि. रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

रायगढ़ वनमण्डल में आरक्षित वन रकबा 0.144 हे. की मांग मेसर्स बी. एस. स्पंज द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिए की गई है, जिसका स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुशंसित।

दिनांक- 27/06/2022

(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर